राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकःएफ.8(2)(6)/निर्वा/2018/ 8842 जयपुर, दिनांकः 30-10-2018

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर्स) राजस्थान।

विषय : विधानसभा आम चुनाव, 2018 के लिए मतदान दलों का गठन कार्मिकों की वरिष्ठता के आधार पर करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग में विभिन्न संगठनों/कर्मचारियों से शिकायते प्राप्त हो रही है कि उन्हें मतदान दलों में वरिष्ठता के आधार पर नहीं लगाया गया है एवं जिसे सेक्टर ऑफिसर आदि की ड्यूटी दी गई है उन्हें भी मतदान दलों में गठित कर दिया गया है। ऐसे ही विकलांग/नेत्रहीन कर्मचारियों को भी मतदान दलों में नियुक्त किया गया है।

अतः निवेदन है कि मतदान दल में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जावे एवं जिन कार्मिकों को पूर्व से ही चुनाव संबंधी कार्य दे रखा है उन्हें मतदान दलों में नियुक्त नहीं किया जावें साथ ही विकलांग/नेत्रहीन कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा जावे।

भवदीया,

(डॉ० रेखा गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

शैक्षिक समाचार राजस्थान

www.rajteachers.com